

अपराध : युवक पर मामला दर्ज करके न्यायिक रिमांड में किया पेश

युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसी अश्लील कमेंट, युवक को पड़ा महंगा

हरिभूमि न्यूज >>> कांकेर

युवा पीढ़ी पूरी तरह से सोशल मीडिया के गिरफ्त में फंस चुकी है और जीवन का कम से कम एक तिहाई समय सोशल मीडिया में

■ रील बनाने के चक्कर में कई युवक गंवा चुके हैं जान

बर्बाद कर रहे, साथ ही युवाओं में विकृति भी पैदा हो रही है। आरोपी युवक के द्वारा युवती के इंस्टाग्राम में अश्लील कमेंट कर दिया और

युवक को ऐसी हरकत करना महंगा पड़ा और आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। थाना कांकेर में 24 जुलाई को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराया था कि 23 जुलाई को दोपहर करीबन 1 बजे अपने मोबाइल फोन के इंस्टाग्राम आईडी को खोल कर देख रही थी, जिसमें लारगांव मरकाटोला निवासी हरीश सोनकर मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फोटो में अश्लील कमेंट करते हुए आरोपी अपने इंस्टाग्राम आईडी से पब्लिक स्टोरी एवं हाई लाइट्स में मेरे प्रोफाइल फोटो में



कार्यवाही टीम में रहे शामिल

कार्यवाही करने में कांकेर थाना के प्रधान आरक्षक कौशल साहू, दिनेश कुलदीप, आरक्षक मुनेश शोरी, श्रवण ठाकुर, वर्यंत सरोज, महिला आरक्षक सविता नाग, अंजली गोटा व पेट्रोलिंग टीम की अहम भूमिका रही।

सोशल प्लेटफॉर्म से बढ़ रही दिक्कतें

सोशल प्लेटफॉर्म युवाओं के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। कई युवा रील बनाने के चक्कर में जान गंवा चुके हैं, वहीं कई युवा इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म में ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिससे उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही हो जाती है। सोशल मीडिया में युवा वर्ग

अपनी कीमती समय बर्बाद करता रहता है और भविष्य को लेकर चिंता भी नहीं करते हैं। रील के नशे में कई युवा वाटरफॉल एवं अजीबों गरीबों हरकत करने के चक्कर में जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया के जाल में हर वर्ग फंसा जा रहा है और यह समस्या अब बढ़ते जा रही है।

अश्लील कमेंट लिखकर लगाया हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 215/2025 धारा 79 बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मनीष नागर ने वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक आई. कल्याण ऐलीसेला के मार्गदर्शन, एसपी दिनेश सिन्हा एवं एसडीओपी मोहसिन खान के निर्देशन पर आरोपी लारगांव मरकाटोला निवासी 22 वर्षीय हरीश कुमार सोनकर पिता स्व. उदेय सिंह सोनकर को 25 जुलाई को अभिरक्षा में

लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी हरीश कुमार सोनकर के मोबाइल को जप्त किया गया। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।